:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– के.आर.खोड

मूकदमा नम्बर 8/19 अपील

श्री मंगला पिता अमरा रोत जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी भीण्डा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

अपीलांट

बनाम

1. श्री बापुलाल पिता मंगला अहारी
2. श्री चुन्नीलाल पिता मंगला अहारी
3. श्री सुरजमल पिता मंगला अहारी
4. श्री शंकर पिता मंगला अहारी
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला डूँगरपुर
6. श्री सरपंच ग्राम पंचायत भीण्डा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

रेस्पोडेट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सख्या 1434, ओदश प्रमाणीत ग्राम पंचायत भीण्डा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता अपीलान्ट

2 श्री गिरधरलाल रोत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

:: निर्णय :: दिनांक 17/03/2020

1. यह कि अपीलान्ट की मालिकाना कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि गॉव भीण्डा के जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता सख्या 320 के खसरा सख्या 446, 448, 624, 914, 3770/534, 3771/540, 3772/620, 3773/622 कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 7.11 बीघा भूमि है अपीलान्ट का नाम मंगला पिता अमरा रोत जाति मीणा है। गॉव भीण्डा में अपीलान्ट के हम नाम का एक व्यक्ति मंगला पिता अमरा मीणा है जिसकी अटक अहारी है है तथा अपीलान्ट की अटक रोत है मंगला पिता अमरा अहारी जाति मीणा की गॉव भीण्डा तहसील झौथरी के जमबान्दी खाता सख्या 321 का खसरा सख्या 3551/1932 का रकबा 0.10 बीघा है जिसमें मंगला पिता अमरा अहारी मीणा की मृत्यु से उसके वारीसान का नाम रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 4 के नाम दर्ज किए गए, तथा इसी अनुसार अपीलान्ट के जमाबन्दी खाता सख्या भीण्डा के जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता सख्या 320 के खसरा सख्या 446, 448, 624, 914, 3770/534, 3771/540, 3772/620, 3773/622 कुल खसरा

d

Scanned with CamScanner

किता 8 का कुल रकबा 7.11 बीघा में मगला पिता अमरा अहारी के वारीसानो के नाम दर्ज कर लिए है जो हटाए जाने आवश्यक है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, तहसीलदार तहसील झौथरीपाल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जो अपीलान्ट की अपील का समर्थन करती है ऐसे में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है ऐसे में नामान्तरणसख्या 1434 को अपास्त किया जाता है।

अतः गॉव भीण्डा का नामान्तरण सख्या 1434 आपस्त किया जाता है तथा गॉव भीण्डा के जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता सख्या 320 के खसरा सख्या 446, 448, 624, 914, 3770/534, 3771/540, 3772/620, 3773/622 कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 7.11 बीघा भूमि में पूर्ववत नाम मंगला पिता अमरा मीणा दर्ज किए जाने की आज्ञा दी जाती है तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 17/03/2020. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.19 14:47:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: